प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष/25/2012–13/1195-1 दिनांक: 27.08.2012

विषय: वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत संविदा पर आयुष चिकित्सक (पुरूष) एवं आयुष चिकित्सक (महिला) के पुनर्अनुबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष/25/2012–13/1122–1 दिनांक 16.08.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. कुछ संविदा आयुष चिकित्सकों द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि सन्दर्भित पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष/25/2012–13/1122–1 दिनांक 16.08.2012 में संलग्न सूची में उनका समायोजन उनके पदस्थ जनपद अथवा उनके द्वारा दिये गये तीन जनपदों के विकल्प से अलग अन्य जनपदों में हो गया है। उक्त के अतिरिक्त कुछ संविदा आयुष चिकित्सकों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त सूची में कुछ दम्पतियों का समायोजन अलग–अलग जनपदों में हो गया है।

3. उनके द्वारा किये गये अनुरोध के कम में सम्यक् विचारोपरान्त कार्यहित में उनका समायोजन यथासम्भव उनके अनुरोध के अनुरूप कर दिया गया है, जिसकी सूची पत्र के साथ संलग्न है।

4. पत्र के साथ संलग्न सूची में किसी तरह की त्रुटि अथवा विसंगति दृष्टिगत् होने पर सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी दिनांक 05.09.2012 तक अपनी स्पष्ट अभियुक्ति सहित इसकी सूचना ई–मेल generalmanagernp@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेगें। सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा इस निर्देश का समायान्तर्गत अनुपालन न किये जाने की स्थिति में वे त्रुटि के संशोधन न किये जाने के लिये उत्तरदाई माने जायेंगे।

5. यदि किसी संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष) एवं आयुष चिकित्सक (महिला) द्वारा एक जनपद से दूसरे जनपद में पारस्परिक समायोजन का अनुरोध किया जाता है तो उस अनुरोध का परीक्षण कर मुख्य चिकित्सासधिकारी द्वारा इस कार्यालय को आवेदन पत्र पर अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ आवेदन पत्र की स्कैन्ड कॉपी ई–मेल generalmanagernp@gmail.com पर दिनांक 20.09.2012 तक प्रेषित की जाये उसके बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष) एवं आयुष चिकित्सक (महिला) हेतु उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप कार्य स्थल निर्धारित करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुबन्धित किया जायेगा एवं अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। इसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रारूप पर ई–मेल generalmanagernp@gmail.com पर दिनांक 07.09.2012 तक प्रेषित की जाये, जिससे उसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बेवसाइट पर अपलोड किया जा सके –

क0 सं0	अनुबन्धित कर्मी का नाम	स्थायी पता तथा मोबाइल नम्बर/ई–मेल	पद नाम	शैक्षिक योग्यता	शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम, जनपद एवं राज्य सहित	अनुबन्ध का दिनांक	कार्य स्थल	टिप्पणी

---2

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न सूची में किये गये समायोजन तक इस कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष/25/2012–13/1122–1 दिनांक 16.08.2012 के साथ संलग्न सूची को संशोधित समझा जाये तथा तद्नुसार पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष/25/2012–13/1122–1 दिनांक 16.08.2012 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही की जाये। उक्तानुसार जनपद चिकित्सालय पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर समायोजन के उपरान्त बचे आयुष चिकित्सकों का समायोजन एक चिकित्सक प्रति चिकित्सालय अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,
27/08/12
(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष/25/2012–13/1195-1-10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथ सेवाएं, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

27.08.12
(डॉ0 अनिल कुमार मिश्र)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं आयुष